न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 19/2025 तारीख रजू :– 12.09.2025

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमन चौधरी आर.ए.एस.

1. हंसराज पुत्र श्रीकिशन जाति बैरवा निवासी जौल तहसील टोडाभी, जिला करौली (राज0)

वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली सिटी (राज0)
2. तहसीलदार टोडाभीम, जिला करौली (राज0)

प्रतिवादी

दावा बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री नन्दराम बैरवा एडवोकेट वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम प्रतिवादी

निर्णय दिनांक–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि खाता संख्या 211 में दर्ज आराजी हाल खसरा नम्बर 769 रकवा 0.76 है0, खसरा नम्बर 770 रकवा 0.04 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.80 है स्थित ग्राम जौल, पटवारा हल्का जौल, तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0) है जिसमें वादी 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के सहखातेदार काश्तकार है। खाता संख्या 212 में दर्ज आराजी हाल खसरा नम्बर 824 रकवा 1.21 है0 स्थित ग्राम जौल, पटवार हल्का जौल, तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0) जिसमें वादी 1/18 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के सह खातेदार काश्तकार है।खाता संख्या 226 में दर्ज आराजी हाल खसरा नम्बर 807 रकवा 0.51 है0 खसरा नम्बर 808 रकवा 1.01 है0 खसरा नम्बर 8909 रकवा 0.58 है0 खसरा नम्बर 812 रकवा 0.78 है0 खसरा नम्बर 812/994 रकवा 0.84 है0 कुल किता 5 कुल

28/1/26
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

रकवा 2.72 है0 स्थित ग्राम जौल पटवार हल्का जौल, तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0) है। जिसमें वादी 1/144 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के सहखातेदार काश्तकार है।

वर्णित भूमि का नामान्तकरण खोलते समय तहसील कर्मचारियों ने सहवन से वादी का नाम **हंसराज पुत्र किशन** के स्थान पर **रामहंस पुत्र किशन** दर्ज कर दिया है, जो गलत इन्द्राज किया है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। कि वादी के समस्त सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, बैक पासबुक आदि में हंसराज पुत्र किशन नाम दर्ज है जो पूरी तरह से सही एवं सत्य है।

दिनांक 08.09.2025 को वादी तहसील टोडाभीम में गया और तहसीलदार टोडाभीम से राजस्व रिकॉर्ड में हुऐ गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने का निवदेन किया लेकिन तहसीलदार ने राजस्व रिकॉर्ड में हुए उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने से मना कर दिया तथा वादी से न्यायालय में कार्यवाही करने को कहा जिस कारण यह दावा श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ । उक्त वाद पत्र में राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार है। राज्य सरकार के विरूद्व मुकदाम पेश करने से पूर्व 60 दिवस का कानूनी नोटिस दिया जाना अनिवार्य है लेकिन दावा हाजा अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण राज्य सरकार को नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। वाद पत्र के साथ प्रथक से अन्तर्गत धारा 80(2) जा0 दीवानी प्रार्थना पत्र संलग्न है।

दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री किया जाकर हाल राजस्व जमावंदी ग्राम जौल में स्थित आराजीयात वर्णित मुतजिका में वादी का नाम **रामहंस पुत्र किशन** को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर **हंसराज पुत्र किशन** दर्ज किया जावे एवं इसी अनुरूप समस्त राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान करे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को पैराकार सरकार (तहसीलदार टोडाभीम) को जरिये सम्मन तलब किया गया है पैरोकार उपस्थित हुये, पैराकार सरकार (तहसीलदार टोडाभीम) जबाव पेश किया कि ग्राम जौल की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 211 कुल किता 2 कुल रकबा 0.80 है0 जगमोहन, रामचरण, रामहंस पि0 किशन सरवती, सोमोती पुत्रिया किशन पुनी पत्नि स्व किशन हि0 बराबर जाति बैरवा सा0देह दर्ज रिकार्ड है। तथा खाता संख्या 212 कुल किता 1 रकबा 1.21 है0 जगमोहन, रामचरण, रामहंस पि0 किशन सरवती, सोमोती पुत्रिया किशन पुनी पत्नि स्व किशन हि0ब0 1/3 जाति बैरवा सा0 देह दर्ज रिकार्ड खाता संख्या 226 कुल किता 5 रकबा 2.72 है0 जगमोहन, रामचरण, रामहंस पि0 किशन

28/11/25
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

सरवती, सोमोती पुत्रिया किश्न पुनी पत्नि स्व किशन हि0 ब0 1/24 जाति बैरवा सा0देह दर्ज रिकार्ड है।

कि उक्त भूमि वादीगण को विरासत नामान्तकरण संख्या 394 दिनांक 21.07.2014 से प्राप्त हुई है जिसका नोट ग्राम जौल की जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के खाता सख्या 24,25 व 209 में लगा हुआ है। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में वादी का नाम रामहंस पुत्र किशन जाति बैरवा दर्ज है जबकि दस्तावेजो मे यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैक पासबुक आदि में **हंसराज पुत्र किशन** जाति बैरवा अंकित है। तहसीलदार की रिपार्ट अनुसार **रामहंस पुत्र किशन व हंसराज पुत्र किशन** एक ही व्यक्ति बताया गया है।

वादी वकील व पैराकार सरकार की बहस सुनी गई वादी वकील द्वारा दौराने बहस बताया कि खाता संख्या 211, 212 व 226 में भूमि का नामान्तकरण खोलते समय तहसील कर्मचारियों ने सहवन से वादी का नाम **हंसराज पुत्र किशन** के स्थान पर **रामहंस पुत्र किशन** दर्ज कर दिया है, जो गलत इन्द्राज किया है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायासंगत है वादी के समस्त सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, बैक पासबुक आदि में **हंसराज पुत्र किशन** नाम दर्ज है। जो पूरी तरह से सही एवं सत्य है। पैराकार सरकार द्वारा बहस में बताया कि ग्राम जौल की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 211, 212 व 226 में जगमोहन, रामचरण, रामहंस, पि0 किशन सरवती, सोमोती पुत्रिया किशन पुनी पत्नि स्व0 किशन जाति बैरवा सा0देह दर्ज रिकार्ड है।

मैने वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। जमावंदी सम्वत 2074–77 ग्राम जौल खाता संख्या 211 में दर्ज आराजी हाल खसरा नम्बर 769 रकवा 0.76 है0, खसरा नम्बर 770 रकवा 0.04 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.80 है खाता संख्या 212 में दर्ज आराजी हाल खसरा नम्बर 824 रकवा 1.21 है0, खाता संख्या 226 में दर्ज आराजी हाल खसरा नम्बर 807 रकवा 0.51 है0 खसरा नम्बर 808 रकवा 1.01 है0 खसरा नम्बर 8909 रकवा 0.58 है0 खसरा नम्बर 812 रकवा 0.78 है0 खसरा नम्बर 812/994 रकवा 0.84 है0 कुल किता 5 कुल रकवा 2.72 है0 में वादी का नाम रामहंस दर्ज है। तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट अनुसार **रामहंस पुत्र किशन व हंसराज पुत्र किशन** एक ही व्यक्ति का नाम है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

आदेश

20/1/26

उपखण्ड अधिकारी ... टोडाभीम, जिला-करौली

अतः जमावंदी ग्राम जौल खाता संख्या 211 में दर्ज आराजी हाल खसरा नम्बर 769 रकवा 0.76 है0, खसरा नम्बर 770 रकवा 0.04 है0 कुल किता 2 कुल रकवा 0.80 है खाता संख्या 212 में दर्ज आराजी हाल खसरा नम्बर 824 रकवा 1.21 है0, खाता संख्या 226 में दर्ज आराजी हाल खसरा नम्बर 807 रकवा 0.51 है0 खसरा नम्बर 808 रकवा 1.01 है0 खसरा नम्बर 8909 रकवा 0.58 है0 खसरा नम्बर 812 रकवा 0.78 है0 खसरा नम्बर 812/994 रकवा 0.84 है0 कुल किता 5 कुल रकवा 2.72 है0 में वादी का नाम **रामहंस पुत्र किशन** के स्थान पर **हंसराज पुत्र किशन** अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है वादी जमावंदी में दर्ज हिस्सा यथावत रहेगा। तहसीलदार टोडाभीम को तहरीर के साथ निर्णय प्रति भिजवाया जावें। आदेश पेश किये गए दस्तवेजों की सत्यता के आधार पर ही प्रभावी रहेगा जिसकी जिम्मेदारी वादी स्वंय की होगी।

यह निर्णय दिनांक 29.01.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(अमन चौधरी R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

टोडाभीम जिला करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली